

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत अनुमति-पत्र - क्र. भोपाल-एस.पी. बि. पृ. पु/04 भोपाल-2001.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन एम. पी. 108/भोपाल/2001.

The name of the Governor of Madhya Pradesh D. R. CHATURVEDI, Secy.

# मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)

(1005 क्रमांक 8 काशी, भोपाल विभाग)

(1005 क्रमांक 8 काशी, भोपाल विभाग)

प्रमाणित कि यह सच है कि

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 444]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 अगस्त 2001—श्रावण 15, शक 1923

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2001

वित्त विभाग (संस्थागत वित्त)

क्र. एफ. 12-1-2001-आईएफ-चार.—मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक 16 सन् 2001) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों को, उनका अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. आर. एस. चौधरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2001

क्र. एफ. 12-1-2001-आईएफ-चार.—मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12-1-2001-आईएफ-चार, भोपाल, दिनांक 10 मई 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. आर. एस. चौधरी, सचिव.

Bhopal, the 6th August 2001

No. F-12-1-2001-IF-IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of The Madhya Pradesh Niksbepakon Ke Hiton Ka Sanrakshan Adhiniyam, 2000 (No. 16 of 2001), the State Government hereby appoint to all District Collectors of the State, as Competent Authority within their respective jurisdiction for the purposes of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
D. R. S. CHAUDHARY, Secy.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2001

क्र. एफ. 12-1-2001-आईएफ-चार.—मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक 16 सन् 2001) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 10 मई 2001 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. आर. एस. चौधरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2001

क्र. एफ. 12-1-2001-आईएफ-चार.—मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 की अधिस्चना क्रमांक एफ. 12-1-2001-आईएफ-चार, भोपाल, दिनांक 10 मई 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. आर. एस. चौधरी, सचिव.

Bhopal, the 6th August 2001

No. F-12-1-2001-IF-IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of The Madhya Pradesh Niksbepakon Ke Hiton Ka Sanrakshan Adhiniyam, 2000 (No. 16 of 2001), the State Government hereby appoint the 10th day of May 2001 as the date on which the said Adhiniyam shall be deemed to have come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
D. R. S. CHAUDHARY, Secy.